ई-मेल

(1)

प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवामें,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रॉकः—जीओ—45/सम्प्रेक्षा/आई0ए0वाई(सामान्य)10—11 दिनांकः 01 मार्च, 2011

विषयः वित्तीय वर्ष 2010—11 में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत सामान्य मद में राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या—344/38—4—11—6 बजट/2009, दिनांक 28—2—2011 (छाया प्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2010—11 में अनुदान संख्या—13 के अधीन इंदिरा आवास योजना हेतु प्रावधानित धनराशि में से योजना के कार्यान्वयन हेतु वर्ष 2010—11 में प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष रू0 1115.00 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निस्तारण पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त धनराशि संलग्नक के कालम—3 में दर्शाये गये विवरण के अनुसार तथा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है :—

1— आवंटित की जा रही इस धनराशि का आहरण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति के पश्चात आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

2— आवंटित की जा रही धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

3— आवंटित की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, तो ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात ही किया जायेगा।

4— समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों एवं संलग्न शासनादेश दिनांक 28—02—2011 में दिये गये निर्देशों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये तथा किसी भी परिस्थितियों में इसे बैंक में न रखा जाय।

5— आवंटन आदेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है तो इसे समयान्तर्गत समर्पित किया जायेगा।

6— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010—11 के आय—व्ययक के अनुदान संख्या—13 के अधीन लेखाशीर्षक—"2505—ग्राम रोजगार—01—राष्ट्रीय कार्यकम—702—जवाहर ग्राम समृद्धि योजना—01—केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें—0105—इन्दिरा आवास योजना (जिला योजना) (के0—75/रा0—25—रा0) —27—सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

7— आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना, बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8– उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ–176 पर कर ली गयी है।

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
(संजीव कुमार)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास,उ०प्र०।

पत्रॉकः–जीओ–405सम्प्रेक्षा/आई०ए०वाई(सामान्य)10–11 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ०प्र० इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ०प्र०।
3– सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ०प्र०शासन।
4– संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5– समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उ०प्र०।
6– समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ०प्र०।
7– वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2/ राज्य योजना आयोग–2 नियोजन अनुभाग–4
8– ग्राम्य विकास अनुभाग–3
9– संयुक्त सचिव, उ०प्र० शासन, ग्राम्य विकास अनुभाग–4 को उनके पत्रांक–344/38–4–11–6 बजट/2009, दिनांक 28–2–2011 के क्रम में।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास,उ०प्र०

पत्रांक– जी0ओ0–45 /सम्प्रेक्षा/ आईएवाई(सामान्य)/ 2010–11, दिनांक 03–03–2011 का संलग्नक (इंदिरा आवास योजनान्तर्गत धनराशि का आवंटन)

(3)

(धनराशि लाख रू0 में)

SL	DISTRICT	State Share Being Released	[illegible] Progressive Total [illegible]
1	2	3	4
1	AGRA	72.230	146.440
2	ALIGARH	0.000	105.340
3	ALLAHABAD	0.000	112.460
4	AMBEDKARNAGAR	0.000	141.354
5	AZAMGARH*	0.000	161.370
6	BADAUN	83.487	208.787
7	BAGPAT	0.000	14.010
8	BAHRAICH	256.950	519.850
9	BALLIA	217.460	471.520
10	BALRAMPUR	0.000	113.610
11	BANDA	0.000	125.900
12	BARABANKI	0.000	210.550
13	BAREILLY	0.000	174.747
14	BASTI	123.012	249.291
15	BIJNOR	72.108	204.159
16	BULANDSHAHAR	0.000	151.880
17	CHANDAULI*	0.000	110.264
18	CHITRAKUT	0.000	76.880
19	DEORIA*	0.000	230.210
20	ETAH	0.000	104.158
21	ETAWAH	0.000	107.732
22	FAIZABAD	5.239	97.953
23	FARRUKHABAD	0.000	126.480
24	FATEHPUR	0.000	102.560
25	FIROZABAD	0.000	102.730
26	G.B. NAGAR*	0.000	23.030
27	GHAZIABAD	0.000	47.830
28	GHAZIPUR	0.000	109.770
29	GONDA	0.000	244.730
30	GORAKHPUR	0.000	212.953
31	HAMIRPUR	0.000	39.794
32	HARDOI	0.000	166.970
33	HATHRAS	0.610	41.980
34	J.B.F. NAGAR	0.000	68.390
35	JALAUN	0.000	66.660
36	JAUNPUR	0.000	222.150
37	JHANSI	0.000	28.440
38	KANNAUJ	0.000	93.920
39	KANPUR DEHAT	0.000	151.750
40	KANPUR NAGAR	0.000	155.660

2

पत्रांक– जी0ओ0–45 /सम्प्रेक्षा/ आईएवाई(सामान्य)/ 2010–11, दिनांक 03–03–2011 का संलग्नक (इंदिरा आवास योजनान्तर्गत धनराशि का आवंटन)

(५)

(धनराशि लाख रू0 में)

SL	DISTRICT	State Share Being Released	[illegible] Progressive Total [illegible]
1	2	3	4
41	KANSHIRAM NAGAR	0.000	70.410
42	KAUSHAMBHI	0.000	124.393
43	KHERI	0.000	459.550
44	KUSHINAGAR	0.000	724.570
45	LALITPUR	74.910	101.500
46	LUCKNOW	74.234	161.847
47	MAHOBA	0.000	29.020
48	MAHRAJGANJ	0.000	208.826
49	MAINPURI*	50.380	100.750
50	MATHURA	0.000	94.090
51	MAU	0.000	124.375
52	MEERUT	0.000	23.950
53	MIRZAPUR	0.000	142.610
54	MORADABAD	0.000	115.050
55	MUZAFARNAGAR	0.000	90.150
56	ORRAIYA	0.000	108.250
57	PILIBHIT	84.380	209.955
58	PRATAPGARH	0.000	108.530
59	RAE BARELI	0.000	138.090
60	RAMPUR	0.000	139.664
61	S. R. NAGAR	0.000	86.210
62	S.K.NAGAR	0.000	160.297
63	SAHARANPUR	0.000	106.220
64	SHAHJAHANPUR	0.000	139.794
65	SHRAWASTI	0.000	182.250
66	SIDHARTHNAGAR	0.000	163.013
67	SITAPUR	0.000	310.794
68	SONBHADRA	0.000	117.684
69	SULTANPUR	0.000	121.810
70	UNNAO	0.000	152.204
71	VARANASI	0.000	123.322
	STATE TOTAL	1115.000	10783.440

(रूपये ग्यारह करोड़ पन्द्रह लाख मात्र

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0 प्र0।

डी०आ०-45/सम्प्रेक्षा/11
1/3/11

(5)

संख्या–344/38–4–11–6 बजट/2009

प्रेषक,

सीताराम यादव,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0,लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक– 28 फरवरी, 2011

विषयः– इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष–2010–11 के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–555/सम्प्रेक्षा/आई0ए0 वाई0/2010–11, दिनांक–09 फरवरी,2011, शासनादेश संख्या– 650/38– 4–10–6बजट/10,दिनांक– 25 अप्रैल, 2010, शासनादेश संख्या–1904/38–4– 10–6बजट/2009, दिनांक–06 सितम्बर, 2010 एवं शासनादेश संख्या–2569/38–4–11–6 बजट/2009,दिनांक–07 फरवरी,2011 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ कि इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष रू0 1115.00 लाख (रूपये ग्यारह करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों/शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:–

1– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का आहरण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति के पश्चात आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

2– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

3– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

4– समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय तथा किसी भी परिस्थितियों में इसे बैंक आदि में नहीं रखा जायेगा।

5– इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक/लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।

कृ0पृ0–2/–

6– तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखा शीर्षक–2505–ग्राम रोजगार–01–राष्ट्रीय कार्यक्रम–702–जवाहर ग्राम समृद्धि योजना–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–0105–इन्दिरा आवास योजना (जिला योजना) (के0–75/रा–25–रा0)–27–सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जिलाधिकारी प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश का आहरण कर सके।

8– यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2 के अशासकीय पत्र संख्या–ई–2–112/दस–2011 दिनांक– 25 फरवरी, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

28.2.11

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या–344(1)/38–4–10 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संबंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. संबंधित जिला विकास अधिकारी/परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. सचिव, डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. संबंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–2
10. राज्य योजना आयोग अनुभाग–2/नियोजन अनुभाग–4
11. ग्राम्य विकास अनुभाग–3/7
12. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।